वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.04.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,दैनिक जागरण, हिंदुस्तान,जनवार्ता,न्यायाधीश ," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 01.04.2026

बुलडोजर से 30 स्थानों पर 75 बीघे की प्लॉटिंग तोड़ी

वाराणसी। जोन पांच रामनगर, मुगलसराय की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान 30 स्थानों पर 75 बीघे की प्लाटिंग बुलडोजर से ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष के अनुसार बरूईपुर के राजनारायण सिंह, अचीतपुर के रितेश पांडेय, खजूरगांव के अज्ञात, कटरिया के विनोद यादव, परोरवा के अज्ञात की ओर से बगैर नक्शा पास कराए प्लाटिंग की जा रही थी। इसे ध्वस्त कराया गया। वहीं, गोविंदपुर के मानसिंह, बरईपुर के अज्ञात, मन्नापुर के अखिलेश यादव, खजूर गांव के अज्ञात, खजुराहो गांव के दिनेश वी रामेश्वर की प्लॉटिंग तोड़ी गई। चांदीतारा के अज्ञात, खजूर गांव के प्रदीप शर्मा, रतनपुर के अज्ञात, खजूर गांव के महेंद्र, गोपालपुर के हरिद्वार सिंह के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। फतेहपुर के अज्ञात, मिल्कीपुर के अज्ञात, गोविंदपुर के अरविंद यादव, खुटहां के कार्तिकेय सिंह, छोटा मिर्जापुर के संजय सिंह के निर्माण को ध्वस्त कराया गया। छोटा मिर्जापुर के अज्ञात, छोटा मिर्जापुर के मनोज, छोटा मिर्जापुर के संजय रंजन सिंह, अदलहाट के रूबी चौरसिया, विशषरपुर के इकबाल अहमद के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 01.04.2026

75 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

जोन पांच के रामनगर और मुगलसराय वार्ड में 30 अवैध कालोनियां जमींदोज

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ मंगलवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। जोन पांच के रामनगर और मुगलसराय वार्ड में वीडीए की तीन टीम ने आठ बुलडोजर से 30 अवैध कालोनियों में 75 बीघा अवैध प्लाटिंग तोड़ी। अवैध प्लाटिंग टूटने के साथ कई कालोनाइजर और प्लाट मालिक मौके पर पहुंचकर विरोध जताने लगे। वीडीए टीम के आगे उनकी एक नहीं चली। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम शाम पांच बजे बंद हुई। उसके साथ वीडीए की एक अलग टीम को अवैध प्लाटिंग चिह्नित करने के लिए लगाया गया था। टीम को दो दिन के अंदर प्रगति रिपोर्ट देनी है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा साढ़े तीन सौ से अधिक अवैध कालोनियों को चिह्नित करने के साथ बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई कर चुके हैं। जोन पांच के रामनगर और मुगलसराय वार्ड में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा को निर्देश दिया कि तीन दिन के अंदर अवैध तरीके से आबाद हो रही अवैध कालोनियों की चिह्नित कर कार्रवाई करें।

मंगलवार को अवकाश होने के बाद भी सभी जोन के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता समेत अन्य कर्मचारियों को वीडीए कार्यालय बुलाया। तीन टीमें गठित करने के साथ उन्हें आठ बुलडोजर दिया। उसके साथ ही 30 अवैध कालोनियों की सूची थमाई। इन अवैध कालोनियों को तीन हिस्से में बांट दिया गया था। टीम में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा व सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रोहित कुमार, संजय तिवारी, राजू कुमार, सोनू कुमार आदि लोग शामिल थे।

रामनगर वार्ड के छोटा मीरजापुर में अवैध प्लाटिंग के गेट को तोड़ता वीडीए का बुलडोजर • वीडीए

- अवकाश के दिन कर्मियों को कार्यालय बुलाकर तीन टीम बनाकर कार्रवाई के लिए भेजा
- मौके पर विरोध करने पहुंचे कालोनाइजर और प्लाट मालिक लौटे मायूस

यहां तोड़ी गई अवैध प्लाटिंग : बरईपुर में राज नारायण सिंह, अचीतपुर में रितेश पांडेय, कटारिया में विनोद यादव, गोविंदपुर मन्नापुर में मानसिंह व अखिलेश यादव, रामेश्वर में दिनेश, खजुर गांव में प्रदीप शर्मा व महेंद्र, गोपालपुर में हरिद्वार सिंह व अरविंद यादव, खुटहा में कार्तिकेय सिंह, छोटा मीरजापुर में संजय सिंह, मनोज और संजय सिंह व रंजन सिंह, मीरजापुर में रूबी चौरसिया, विशाषरपुर में इकबाल अहमद, मुजफ्फरपुर में अमीरचंद पटेल व वीरेंद्र कुमार सिंह समेत 30 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग तोड़ी गई।

हिन्दुस्तान–दि0 01.04.2026

वीडीए ने 75 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने मंगलवार को 30 स्थानों पर 75 बीघा में अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। रामनगर-मुगलसराय वार्ड में डेवलपर राज नारायण सिंह का बरूईपुर में अवैध प्लाटिंग विकसित हो रही थी। डेवलपर रितेश पांडेय की अचीतपुर में प्लॉटिंग ध्वस्त की गई।

खजूरगांव में बिना नक्शा पास कराये की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। डेवलपर विनोद यादव की कटारिया में, मानसिंह की गोविंदपुर में, प्रदीप शर्मा की खजूर गांव, अखिलेश यादव की मन्नापुर, दिनेश वी रामेश्वर की खजुराहो गांव, महेंद्र की खजूर गांव, हरिद्वार सिंह की गोपालपुर, अरविंद यादव की गोविंदपुर, कार्तिकेय सिंह की खुटहा, संजय सिंह-मनोज की छोटा मिर्जापुर, संजय सिंह-रंजन सिंह की छोटा मिर्जापुर, रूबी चौरसिया की मिर्जापुर, इकबाल अहमद की विशेषपुर और अमीरचंद पटेल-वीरेंद्र कुमार सिंह की मुजफ्फरपुर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई।

इसके अलावा परोरवा, बररईपुर, चांदीतारा, रतनपुर, फतेहपुर, मिल्कीपुर में भी अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और जेई संजय तिवारी मौजूद रहे। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि जमीन खरीदने से पहले भू-उपयोग जरूर जांचना चाहिए। यह आवासीय हो होना चाहिए। आंतरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 25-30 फीट होनी जरूरी हैं।

वीडीए ने मंगलवार को कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करा दी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनवार्ता —दि0 01.04.2026

75 बीघा अवैध प्लाटिंग पर गरजा बीडीए का बुलडोजर

वीडीए की बड़ी कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोनझ5 (रामनगर/मुगलसराय क्षेत्र) में 30 स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। वही उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर की गई। इस कार्रवाई में कुल लगभग 75 बीघा क्षेत्र में विकसित अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बरुईपुर, अचीतपुर, खजूरगांव, कटारिया, गोविंदपुर, मन्नापुर, छोटा मिजार्पुर, मिल्कीपुर सहित कई मौजों में बिना लेआउट व नक्शा स्वीकृति के विकसित प्लाटिंग पर कार्रवाई की। राज नारायण सिंह, रितेश पांडे, विनोद यादव, मानसिंह, अखिलेश यादव, प्रदीप शर्मा समेत कई नामजद एवं अज्ञात लोगों द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग को धारा 27 के तहत ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा व अवर अभियंता संजय तिवारी मौजूद रहे। वही प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि भूमि खरीद से पहले लैंडयूज की जांच अवश्य करें तथा केवल स्वीकृत लेआउट वाले प्लॉट ही खरीदें एवं बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 01.04.2026

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध वाविप्रा द्वारा कुल 75 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा पुर्ण बोरा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के जोन- 5 की प्रवर्तन टीम द्वारा 30 स्थानों पर किए गए अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 75 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई।कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है ।जोन-5 (वार्ड-रामनगर/मुगलसराय) प्लाटिंग कर्ता राज नारायण सिंह, मौजा- बरूईपुर, विकासखंड -जमालपुर, थाना-अदलहाट में के द्वाराअवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।-रितेश पांडे, मौजा-अचीतपुर, थाना-अदलहाट इनके द्वारा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।इसी क्रम में प्लाटिंग कर्ता का नाम- अज्ञात, मौजा- खजूरगांव, थाना -अलीनगर, इनके द्वारा बिना नक्शा पास कराये अवैध प्लैटिंग विकसित की जा रही है। अज्ञात, मौजा- मुजफ्फरपुर, थाना - अदलहाट उनके द्वारा बिना नक्शा पास कारण अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। विनोद यादव मौजा- कटारिया थाना -अलीनगर इनके द्वारा बिना लेआउट पास कराये अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। अज्ञात, मौजा- परोरवा, थाना - रामनगर मै इनके द्वारा बिना लेआउट पास कारण अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। मानसिंह के द्वारा मौजा- गोविदपुर मननपुर थाना- मुगलसराय इनके द्वारा बिना लेआउट पास कर है अवैध निर्माण किया जा रहा था। अज्ञात द्वारा मौजा- बरईपुर थाना अदलहाट में ना लेआउट पास काराये अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था अखिलेश यादव मौज मननपुर थाना मुगलसराय में इनके द्वारा बिना लेआउट पास कर है अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। अज्ञात द्वारा मौजा- खजूर गांव थाना अलीनगर के अंतर्गत बिना नक्शा पास कराई अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी । दिनेश वी रामेश्वर मौज खजुराहो गांव थाना अलीपुर में इनके द्वारा बिना लेआउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी अज्ञात द्वारा मौजा चांदी तारा थाना मुगलसराय में बिना लेआउट पास कराया प्लाटिंग किया जा रहा था प्रदीप शर्मा मौजा,- खजुर गांव, थाना अलीनगर के अंतर्गत बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी अज्ञात द्वारा मौजा रतनपुर थाना मुगलसराय में बिना ले आउट पास कारण अवैध निर्माण विकसित की जा रही थी। महेंद्र द्वारा मौजा खजूर गांव थाना अलीनगर मै बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी हरिद्वार सिंह द्वारा मौज गोपालपुर थाना अलीनगर के अंतर्गत बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी ।इसी प्रकार अज्ञात मौजा फतेहपुर, थाना मुगलसराय के अंतर्गत बिना लेआउट पास कराये अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। अज्ञात द्वारा मौजा- मिल्कीपुर, थाना अदलहाट के अंतर्गत बिना लेआउट पास कराये अरविंद यादव मौजा गोविंदपुर, थाना-मुगलसराय कार्तिकेय सिंह मौजा खुटहा,परमासंगनगर थाना मुगलसराय के अंतर्गत बिना लेआउट पास कराये अवैध प्लाटिंग किया जा रहा संजय सिंह मौज छोटा मिर्जापुर थाना अदलहाट के अंतर्गत बिना लेआउट पास कारण अवैध प्लाटिंग बिना नक्शा पास करें किया जा रहा है अज्ञात मौज छोटा मिर्जापुर थाना अटल घाट के अंतर्गत बिना लेआउट पास कारये प्लाटिंग किया जा रहा है मनोज द्वारा मौजा - छोटा मिर्जापुर थाना अदलहाट के अंतर्गत बिना लेआउट पास कारये अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है संजय सिंह व रंजन सिंह द्वारा छोटा मिर्जापुर थाना अदलहाट बिना लेआउट पास कारणें प्लाटिंग किया जा रहा है रूबी चौरसिया मौजा मिर्जापुर, थाना अदलहाट के द्वारा बिना लेआउट पास कराये अवैध प्लाटिंग की जा रहा है।वहीं इकबाल अहमद के द्वारा मौज विशषरपुर थाना आधारहट के अंतर्गत बिना लेपई कराए अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है अमीरचंद पटेल के द्वारा मौज मुजफ्फरपुर थाना अदलहाट बिना लेआउट पास कारण और प्लाटिंग की या जा रहा है अज्ञात द्वारा मौजा विशेषरपुर माफी नारायणपुर थाना अदलहाट के अंतर्गत बिना लेआउट पास कारण अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा व अवर अभियंता संजय तिवारी उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करेंअन्यथा की स्थिति मेंप्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।